(b) if so, what are the charges against him;

(c) whether any further proceeding will be started against him; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) and (b) Presumably, the reference is to a senior officer of Western Railway who was placed under suspension in January, 1987 due to certain remarks made by him, unbecoming of a Government servant. The suspension was revoked when the officer expressed his regrets.

(c) and (d) Do not arise.

गैर ओ० वाई० टी० टेलीफोनों की प्रतीक्षा सूची

2364. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक:**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली गेट टेलीफोन केन्द्र में गैर ओ० वाई० टी० सामान्य श्रेणी में कितने व्यक्तियों ने 1 जनवरी, 1986 से 1000 रुपए जमा करके नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिये पंजीकरण कराया है तथा 28 फरवरी, 1987 तक कितने व्यक्तियों को नये कनेक्शन दिये जा चुके हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहनदेव) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

हड़ताल की अवधि के लिए नर्सों को वेतन और वृत्तिका का दिया जाना

2365. **श्री सूरज प्रसाद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के केन्द्रीय तथा नगर निगम के सभी अस्पतालों में 19 जनवरी, 1987 से नर्सों द्वारा की गई हड़ताल के बारे में सरकार ने उन्हें हड़ताल की अवधि का वेतन देने का आश्वासन दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि हड़ताल के दौरान सभी अस्पतालों की पी० टी० एस० नर्सों (छात्राओं) को अन्य नर्सों ने काम पर नहीं जाने दिया था तथा लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल की पी० टी० एस० नर्सों ने इस बारे में अपनी प्रधानाचार्य को लिख कर भी दिया था, किन्तु फिर भी उन्हें फरवरी, 1987 की वृत्तिका तक नहीं दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, दिल्ली की इन पी० टी० एस० नर्सों को 1 अक्तूबर, 1986 से फरवरी, 1987 तक 500 रुपये प्रतिमाह की दर से वृत्तिका दिलाने की शीघ्र व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी नहीं ।

(ख) पी० टी० एस० के दौरान छात्राओं को सामान्यतया वार्ड ड्यूटी पर नहीं लगाया जाता है क्योंकि उनके पास पूर्ण पर्यवेक्षण के बिना वार्डों में काम करने का पर्याप्त ज्ञान/प्रवीणता नहीं होती । बहरहाल लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल की पी० टी० एस० नर्सों से सरकार को इस संबंध में कोई शिकयत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण ले रही छात्र नर्सों को सभी तीनों वर्षों के लिये वजीफे की दर बढ़ाकर एक समान रूप से 500/– रुपये प्रतिमास करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं । ये आदेश उक्त पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण ले रही लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल की छात्र नर्सों को भी लागू होते हैं ।